

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 347/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 03.09.2026

थाना-अहरौला, जनपद-आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.09.2026 को वादी द्वारा थाना अहरौला पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त सुन्दन पुत्र धर्मेन्द्र, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी डाही, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया है। जिसके संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 303/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त सुन्दन पुत्र धर्मेन्द्र, निवासी डाही, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 03.09.2026 को उ0नि0 उमेश चन्द मय हमराह का0 पवनेश प्रताप सिंह व का0 अजीत कुमार यादव द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं वांछित अपराधियों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपी सुन्दन पुत्र धर्मेन्द्र, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी डाही, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को फुलवरिया बाजार तिराहे के पास से समय करीब 10:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण:-

1. सुन्दन पुत्र धर्मेन्द्र, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी डाही, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 303/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 उमेश चन्द, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. का0 पवनेश प्रताप सिंह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. का0 अजीत कुमार यादव, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

थाना-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.08.2026 को थाना जीयनपुर पर एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि मु0 सैफ पुत्र शोएब, निवासी ग्राम जयराजपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, हाल पता अजमतगढ़, थाना जीयनपुर द्वारा एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0360/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 03.09.2026 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अबु सैफ पुत्र मो0 शोएब, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम जयराजपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर से अहिरौली जाने वाले मार्ग से समय करीब 09:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अबु सैफ पुत्र मो0 शोएब, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम जयराजपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 0360/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विनय कुमार यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

2. का0 राहुल गुप्ता, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

3. का0 सोनू यादव, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।